कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या–1645/xxv–12(11)/2021 देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2022

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री मनीष वर्मा,
पूर्व राज्यमंत्री, उत्तराखण्ड
10–गांधी रोड़,
देहरादून, उत्तराखण्ड–248001

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–4/आर0टी0आई0/भा0नि0आ0/क्षे0/19640/उत्तरा0/उ0अनु0–2/2022(ऑनलाईन)/2117 दिनांक 21 जनवरी 2022 इस कार्यालय में दिनांक 31.1.2022 को प्राप्त हुआ है। आपके पत्र दिनांक 08 जनवरी 2022 के सम्बन्ध में सम्पादित कार्यवाही से सम्बधित सूचना एक प्रति में संलग्न प्रेषित की जा रही है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता–
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,
B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या1645/XXV–12(11)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़ नई दिल्ली–110001 को सादर इस कार्यालय में धारित सूचना की प्रति संहित सादर सूचनार्थ।

B S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

31/1/22

By Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचनसदन, अशोकरोड, नई दिल्ली – 110001.
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

सं04/आर0टी0आई0/भा0नि0आ0/क्षे0/19640/उत्तरा0/उ0अनु0-2/2022(ऑनलाईन)/2117 दिनांकः- 21 जनवरी, 2022

सेवा में,

श्री मनीष वर्मा,
10 गांधी रोड़,
देहरादून, उत्तराखण्ड-248001.

विषयः- सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा_6 (3) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने आवेदन सं0 19640 दिनांक 12.01.2022, जो आयोग में ऑनलाईन पोर्टल द्वारा प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके शिकायती पत्र दिनांक 08.01.2022 को आयोग के पत्र संख्या 437/भा0नि0आ0/उत्तरा-वि0स0/2022/उ0अनु0-2(T&P) दिनांक 14 जनवरी, 2022 के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है। (प्रति संलग्न) जिसकी रिपोर्ट अभी तक आयोग में अप्राप्त है।

यदि आप केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान की गई सूचना से असंतुष्ट है तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर आयोग में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः-

श्री के.एन. भार,
वरि0 प्रधान सचिव व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वचान सदन, अशोक रोड़,
नई दिल्ली- 110001.
ई-मले- knbhar@eci.gov.in

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
प्रधान सचिव एंव
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपिः- 1. जनसूचना अधिकारी कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. गार्ड फोल्डर ।

P Esh PQ 889 14/1/22

स्पीड पोस्ट/कैम्प बैग द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001.

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

फाइल सं0:437/भा0नि0आ0/उत्तरा-वि0स0/2022/उ0अनु0-2(T&P)/16 **दिनांक: 14 जनवरी, 2022**

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

विषय:- **उत्तराखण्ड राज्य के विधान सभा के सामान्य निर्वाचन, 2022- ट्रांसफर/पोस्टिंग से संबंधित शिकायतें।**

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर निम्नलिखित व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों की एक-एक प्रति आपको इस अनुरोध के साथ भेजने का निदेश हुआ हैं कि उक्त पत्रों में वर्णित शिकायतों की अनुवीक्षण पश्चात रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करें।

क्र0 स0	**शिकायतकर्ता का नाम व पता**	दिनांक
1.	श्री सुबोध सिंह बिष्ट (पूर्व सभासद), न0पा0प0, निवास टकाना लाईन, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड	12.01.2021
2.	श्री अनिल सिंह मो0- 9927000214 (ई-मेल द्वारा प्राप्त)	09.01.2022
3.	श्री राजेन्द्र सिंह आवास विकास काशीपुर, उत्तराखण्ड (ई-मेल द्वारा प्राप्त)	07.01.2022
4.	श्री मनीष वर्मा (Former State Minister Uttarakhand), 10 गांधी रोड, देहरादून-248001	08.01.2022
5.	श्री कलग राम चौहान निवासी- ग्राम एवं पो0ओ0- मेहन्द्रथ, तह0- त्यूणी, जिला-देहरादून-248199	10.01.2022
6.	श्री अरविन्द कुमार गौतम निवासी- कुमार खेड़ा मौहल्ला, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	06.01.2022
7.	श्री नरेन्द्र बिष्ट, रेलवे स्टेशन रोड़, झंडा चौक, कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	11.01.2022

भवदीय,

(signature)

(रितेश सिंह)
अवर सचिव

जारी किया/ISSUED ON
14 JAN 2022
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

12/1/2022

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 324 /XXV–59/2021 देहरादून : दिनांक 12 जनवरी, 2022

सेवा में,

ELECTION URGENT

मुख्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– **विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022–श्री पंकज कुमार पाण्डे, आई0ए0एस0, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विरूद्ध शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री मनीष वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखण्ड, मुख्य सम्पादक, वॉइस ऑफ नेशन 24X7 न्यूज चैनल, 10 गांधी रोड़ देहरादून के ईमेल दिनांक 08 जनवरी, 2022 के साथ संलग्न पत्रों की प्रति संलग्न का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा श्री पंकज कुमार पाण्डे, आई0ए0एस0, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में शिकायत का उल्लेख किया गया हैं।

अतः उक्त सन्दर्भित शिकायती पत्र की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

पृ0सं0– 324 /XXV-59/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मनीष वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तराखण्ड, मुख्य सम्पादक, वॉइस ऑफ नेशन 24 X7 न्यूज चैनल, 10 गांधी रोड़ देहरादून को उनके उक्त सन्दर्भित शिकायती पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

Email **CEO UTTARAKHAND**

Fwd: Complaint Against IAS Officer (under Investigation of Vigilence and DOPT ,GOI) should be transferred / Removed of his present appointment,since he is holding same department and he can manage elections also as he is on post of Secretary, Information too.

From : voiceofnation18@gmail.com Sat, Jan 08, 2022 08:48 PM

Subject : Fwd: Complaint Against IAS Officer (under Investigation of Vigilence and DOPT ,GOI) should be transferred / Removed of his present appointment,since he is holding same department and he can manage elections also as he is on post of Secretary, Information too.

2 attachments

To : CEO UTTARAKHAND <ceo_uttaranchal@eci.gov.in>

Cc : voiceofnation18@gmail.com, Dr Nitin Deep Blaggan IPS <hobac1del@cbi.gov.in>, pmo@govmu.org, pmoapplication@gov.in

---------- Forwarded message ---------
From: **vonnews** <voiceofnation18@gmail.com>
Date: Sat, 8 Jan 2022, 15:47
Subject: Complaint Against IAS Officer under Investigation of Vigilence and DOPT ,GOI should be transferred / Removed of his present appointment,since he is holding same department and he can manage elections also as he is on post of Secretary , Information too.
To: <schandra@eci.gov.in>
Cc: <ecrk@eci.gov.in>, VOICE OF NATION NEWS <voiceofnation18@gmail.com>

Dear Sir

Since the code of Conduct imposed today at Uttrakhand, I am writing you this mail to get the Justice.

Sh Pankaj Kumar Pandey, IAS who was suspended during NH Scam by former CM of Uttrakhand Sh Trivendra Singh Rawat .
The Current CM given him responsibility of Secretary Information by removing another honest and transparent officer Sh Dilip Jawalakar.

The Said Offcier is under the investigation of DOPT,Govt of India and on the Direction of Honble PMO to CMO uttrakhand ,the complainant mapped to Vigilence too. (All copy attached herewith)

The State govt or Chief Secretary not removed said Offcier from his current post ,ie : Secretary Medical Education and Secretary Information.

Due to all these evidence you can understand that this Officer can manage the elections for BJP too bz all budget lies with information department for media and management.

I hope for transparancy in elections the honble election commission can remove/transfer the said officer Sh Pankaj Kumar Pandey from his current post.
Best Regards,

Thanking you
Manish Verma
Former State Minister Uttrakhand
Editor in Chief
Voice of Nation 24 x7 News Channel
www.voiceofnationnews.com
10 Gandhi Road
Dehradun 248001

Addl. C.EO

DY.CEO ACEO

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
9-1-2022

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

(जितेन्द्र कुमार)
...रा मुख्य निर्वाचन अधि...
उत्तराखण्ड

ARO II S.O(R)
10-1-22
10/1/22 ACEO

Annexure to High court new writ.pdf
10 MB

pmo complaint.pdf
211 KB

दूरभाष/Phone

फैक्स/Fax

ई-मेल/E-mail

पॉकेट 14 सेक्टर 8 द्वारका फेज 1 नई दिल्ली

Pocket 14, Sector 8, Dwarka

Phase 1, New Delhi

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

National Medical Commission

Under Graduate Medical Education Board

No.NMC 34(1)(Gen)/2020 21 Med./1/ 050215 Date 29th December, 2021

To

Shri Manish Verma,
10 Gandhi Road,
Dehradun,
Uttarakhand-248001
Email id : voiceofnation18@gmail.com

Subject: **<u>RTI Request Registration No. NMCND/R/E/21/00322, dated 29.06.2021</u>**

Sir,

Please refer to your RTI application dated 29.06.2021 seeking information under Right to Information Act, 2005. At the outset, I express my sincere apologies that your request could not be responded earlier due to the absence of concerned CPIO and Appellate Authority in National Medical Commission

2. Since, the information sought by you closely relates to Medical Assessment and Rating Board (MARB), hence the RTI application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act 2005 to CPIO, MARB for furnishing the requisite information directly to you.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Vishwanath)
CPIO, UGMEB

Copy to

(4)

File No.U.12012/186/2021-ME-I

20 OCT 2021
ISSUED
MINISTRY OF HEALTH & F.W.

U.12012/186/2021-ME-I (8133933)
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(ME-I Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 18th Oct, 2021

To,

The Secretary, 3372440
National Medical Commission,
Pocket-14, Sector-8, Dwarka,
New Delhi-110077

Subject:- Various representations received in the Ministry of Health and Family Welfare–reg.

Madam,

I am directed to enclose herewith following representations/ complaints received from the following individuals on the subject as mentioned below in seriatim:-

S.No.	Applicant and Date	Subject
1	Sh. Manish Verma Dated. 28/09/2021	Regarding Establishment of New Medical College at Dehradun.
2	Dr Pankaj A Gupta Dated. 28/09/2021	Regarding Postgraduate registration from Rajasthan Medical Council.

2. National Medical Commission is requested to look into the matter and take appropriate action.

Yours faithfully

Signed by Chandan Kumar
Date: 18-10-2021 10:58:30
Reason: Approved
(Chandan Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel No: 011–23061342

Encl: A/A.

Copy to(Via email):

(5)

सेवा में

Dated 8/8/2021 (10)

लोक सूचनाधिकारी

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उत्तराखंड
I.T. Park, Sahastradhara Rd.
देहरादून

विषय : माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायत संख्या PMOPG /E /2021 /0463212 दिनांक 4 /8 /2021 जो की आपके कार्यालय में दिनांक 07 /08 /2021 को प्राप्त हुई तथा ऑनलाइन नोडल अफसर आरती बलोदी एवं मेल आई डी दर्शा रहा है , के कृत कारवाही के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री कार्यालय में RTI लगाई गयी जिसमे माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा मेरे फ़ोन नंबर 7579193109 को दिनांक 5 अक्टूबर 2021 प्रातः 10. 32 पर निर्देश दिया गया की आपके कार्यालय में इस सम्बन्ध प्रगति जांच रिपोर्ट /अग्रिम कारवाही हेतु RTI दाखिल करे एवं RTI के जवाब को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे

महोदय

कृपया मेरी उक्त शिकायत पर की गयी कारवाही से मुझे सूचना के अधिकार के अंतर्गत तत्काल अवगत करवाने का कष्ट करे

10 / पोस्टल आर्डर संख्या 066661 संग्लग्न है

भवदीय

मनीष वर्मा

१० गाँधी रोड देहरादून

7579193109

Received ...
Date 12/10/21
IT Development Agency (ITDA)

(6)

सेवा में

08/10/2021

मुख्य सचिव ,उत्तराखंड

देहरादून

विषय : माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायत संख्या PMOPG /E /2021 /0463212 दिनांक 4 /8 /2021 जो की आपके कार्यालय में मेरे द्वारा 11 अगस्त को शिकायत के अन्य विवरण सहित दाखिल की गयी जिसके क्रम में आपके लोक सूचना अधिकारी द्वारा श्री सुनील सिंह अनुभाग अधिकारी /लोकसूचना अधिकारी के माध्यम से द्वारा पत्र संख्या 750 / XXVIII (5) 2021 -13 (सु अधि)2021 दिनांक 16 अगस्त 2021 में कहा गया है की प्रकरण पर परीक्षणोपरांत मुझे अवगत करवाया जायेगा परन्तु कोई जवाब न आने की दशा में उक्त प्रकरण पर कारवाही के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री कार्यालय में मेरे द्वारा RTI लगाई गयी जिसमे माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा मेरे फ़ोन नंबर 7579193109 को दिनांक 5 अक्टूबर 2021 प्रात: 10 32 पर निर्देश दिया गया की आपके कार्यालय में इस सम्बन्ध प्रगति हेतु RTI दाखिल करे एवं RTI के जवाब को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे

महोदय

कृपया मेरी उक्त शिकायत पर की गयी जांच रिपोर्ट /कृत कारवाही से मुझे

भवदीय सूचना के अधिकार के अंतर्गत तत्काल अवगत करवाने का कष्ट करे

10 / पोस्टल आर्डर संख्या 066659 संग्लग्न है

मनीष वर्मा

१० गाँधी रोड देहरादून

7579193109

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड सचिवालय

(1)

संख्या 782/XXX–1–02(01)/2008

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री मनीष वर्मा,
10 गांधी रोड, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–1

देहरादूनः दिनॉक 13 दिसम्बर, 2021

विषयः सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विरूद्ध शिकायत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विरूद्ध आपके शिकायती पत्र दिनांक 04.08.2021 के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 690/XXX(2)/2010 दिनांक 23.06.2010 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत शिकायत को पुष्ट साक्ष्यों सहित शपथ पत्र पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या /XXX–1–02(01)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– उप सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

शपथ पत्र

प्रति ,संयुक्त सचिव

कार्मिक अनुभाग -१ पत्र संख्या : ७८२/क्सक्सक्स-१-०२(०१)/२००८ दिनांक : १३ दिसंबर २०२१

शपथ पत्र : श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री आर के वर्मा निवासी १० गाँधी रोड ,देहरादून

............................शपथ कर्ता

१. शपथ कर्ता शपथ पूर्वक कथन कर्ता हे कि :

२. शपथ कर्ता यह शपथ पत्र उक्त कार्मिक अनुभाग के पत्र के क्रम में दे रहा हैं

३. यह कि सभी पुष्ट साक्ष्य सचिवालय के चिकित्सा शिक्षा विभाग अनुभाग द्वारा आर टी आई के माध्यम से प्राप्त किये गए हैं जो उक्त MTVT बुद्धिस्ट रिलिजियस ट्रस्ट जिसका पूर्व नाम सुभारती के के बी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जिसमे डॉ जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट का जिसका पूर्व नाम श्री श्री १००८ नारायण स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट का विलय कर दिया गया हैं तथा उक्त से सम्बंधित समस्त साक्ष्य एवं तथ्य चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -०५ की पत्रावली पर उपलब्ध हैं

..........शपथ कर्ता

४. यह की उक्त चरण संख्या १ से ३ मेरे निजी ज्ञान में सत्य हैं

..............शपथ कर्ता

(१)

सेवा में

DATE : 25/10/2021

मुख्य सचिव

उत्तराखंड

सचिवालय , सुभाष रोड

देहरादून

विषय : MTV बुद्धिस्ट रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट (जिसमे डॉ जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट पूर्व नाम श्री श्री १००८ नारायण स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट का मर्जर किया गया है , द्वारा झूठा शपथ पत्र दिया जाना एवं सरकार की पूर्व देनदारी 78 करोड़ के लिए कॉर्पोरेट गारंटी के साथ झूठे तथ्य दिए जाने एवं क्यूंकि झूठे तथ्य साबित हो गए है इसलिए उसमे लिखित शर्त के अनुसार तत्काल MBBS कोर्स के लिए प्रदत अनिवार्यता प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने हेतु

महोदय ,

आपको अवगत करवाना है की उक्त विषयक सन्दर्भ के अनुसार उक्त ट्रस्ट की समस्त संपत्ति पूर्व से इलाहबाद बैंक नेहरू कॉलोनी देहरादून एवं नैनीताल बैंक देहरादून में बंधक है (ENCL) साथ ही उक्त संस्था द्वारा उक्त प्रस्ताव के साथ दिए बैलेंस शीट में भी PNB एवं OBC से लोन प्रदर्शित हो रहा है (ENCL) जबकि संस्था ने अपने शपथ पत्र एवं कॉर्पोरेट गारंटी में लिखा है की राज्य सरकार की देनदारी पहले चुकाई जाएगी तथा तब तक संस्था की किसी भी सम्पति को मॉर्गेज नहीं किया जायेगा (ENCL) तथा कोई लोन नहीं लिया जायेगा जबकि उक्त संस्था (ओ) पर पूर्व से ही लोन चला आ रहा है जो इन्होने बैंको को भुगतान नहीं किया जिसका विवरण राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा सचिव के माध्यम से दिए गए शपथ पत्र जो की एडवोकेट जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है , उसमे भी प्रदर्शित है (ENCL) इस कारण एवं अन्य कई कारणों एवं कई केसेस के चलते, 300 MBBS के छात्रो से धोखाधड़ी के चलते इनके यहाँ से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट किया गया

(डाक प्राप्ति)
मुख्य सचिव कार्यालय
26/10/21

अत : झूठा शपथ पत्र दिए जाने , गलत तथ्यों के साथ कॉर्पोरेट गारंटी दिए जाने के चलते अनिवार्यता प्रमाण पत्र की शर्तो के उललंघन के चलते तत्काल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निरस्त करने की कृपा करे

भवदीय

मनीष वर्मा

सेटलर

श्री श्री १००८ नारायण स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट

तथा वादी OS 60/12 (जिसमे राज्य सरकार एवं सचिव भी पक्षकार है)

10 गाँधी रोड ,देहरादून

PHONE : 7579193109

Cc : HON'BLE PMO FOR THEIR ONGOING INVESTIGATION IN THE MATTER CURRENTLY WITH VIGILENCE DEPARTMENT

HON'BLE GOVERNER, UTTRAKHAND , RAJ BHAWAN ,DEHRADUN

HON'BLE CHIEF MINISTER , UTTRAKHAND

DIRECTOR , CBI , NEW DELHI FOR THEIR CHARGSHEETED MATTER 7 OTHER ENQUIRIES GOING ON IN THE MATTER OF MURDER EXECUTED BY DR ATUL BHATNAGAR U/S 302 & 120 B

Head Office: Tathagat Buddha Block, Subhartipuram, Delhi-Roorkee Meerut Bypass Road, Meerut
Dehradun Office: Jhajra, Chakrata Road, Dehradun
e-mail: gbcmddn@gmail.com

Ref. No.: MTVBRCT/2021/06/**2416**

Date : 29.06.2021

सेवा में,

श्रीमान् अनुसचिव,
चिकित्सा शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः गौतमबुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निर्गत हुए अनिवार्यता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र सं0 599/XXVIII(5)/2021-26(सामान्य)/2020 दिनांक 28 जून, 2021 के क्रम में अवगत कराना है हमारे द्वारा पूर्व में पत्र सं0 MTVBRCT/2021/06/2402 दिनांक 15.06.2021 के माध्यम से शपथ पत्र एवं कारपोरेट गांरटी श्रीमान् सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय में जमा करा दिए गए है, छायाप्रति **संलग्न** है।

यह कि एम0टी0वी0 बुद्धिस्ट रिलीजियस एवं चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा कारपोरेट गांरटी इस आशय के साथ जमा की गई है क्योंकि वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी परिस्थिति में एम0टी0वी0 बुद्धिस्ट रिलीजियस एवं चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा बैंक गांरटी उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए हमें कृतार्थ करें।

धन्यवाद!

भवदीय,

(डा0 रवीन्द्र प्रताप)
प्रशासनिक अधिकारी
एम0टी0वी0 बुद्धिस्ट रिलीजियस चैरिटेबिल ट्रस्ट

श्री राणा
29/6

R. GANDHI & Co.
Chartered Accountants

Near ...
Delhi Road, ...
Phone : 0121-4006524, +9194...

MTV BUDDHIST RELIGIOUS AND CHARITABLE TRUST, MEERUT

(Formerly known as Subharti KKB Charitable Trust)

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2018

LIABILITIES		AMOUNT
General Fund		
Opening Balance	1,733,525,907.06	
Less. Tax Adjusted as per Settelment Deptt	48,899,251.00	
Add: Donation towards corpus	11,032,470.00	
Add: Excess of Income over Expenditure	343,549,023.75	2,039,208,149.81
Secured Loans		
OBC Term Loan	56,369,754.01	
OBC Overdraft	255,279,474.64	
PNB Term Loan	75,986,538.00	
PNB Overdraft	540,288,626.50	927,924,393.15
Unsecured Loans and Deposits		654,650,504.85
Security Deposits From Students and others		665,247,708.50
Sundry Creditors		139,500,293.09
Other Liabilities :		
Duties and Taxes	3,894,097.64	
Other Liabilities	-	3,894,097.64
		4,430,425,147.04

ASSETS		AMOUNT
Fixed Assets		
Gross Block	5,270,087,432.80	
Less : Depreciation	2,413,104,839.09	
Net Block	2,856,982,593.71	
Capital Work-in-progress	251,463,763.47	3,108,446,357.18
Advance for Land		85,715,293.00
Security Deposits		18,919,646.00
Other Advances and Deposits		341,564,180.06
Tax Deducted at Source		21,452,601.14
Cash and Bank Balances :		
Cash Balance	9,444,926.50	
Bank Balance :		
In Fixed Deposits	449,617,942.00	
In Savings & Current Accounts	395,264,201.16	854,327,069.66
		4,430,425,147.04

Trustee

Trustee

Audited in terms of our separate report of even date attached

For R. GANDHI & CO.
Chartered Accountants

(R. GANDHI)
F.CA

R. Gandhi & Co. Meerut M.No.: 073087 Chartered Accountants

Place : Meerut
Date: 31.08.2018

DEED OF GUARANTEE (CORPORATE)

THIS Corporate Guarantee is executed on this day of 15th JUNE, 2021

BY

M.T.V. BUDDHIST RELIGIOUS AND CHARITABLE TRUST a trust with its registered office at Head Office - Tathagat Buddha Block Delhi-Roorkee Bypass Road, Subharti Puram, Meerut & Dehradun Office: Jhajra, Chakrata Road, Dehradun DR. JAGAT NARAIN SUBHARTI CHARITABLE TRUST merge with **M.T.V. BUDDHIST RELIGIOUS AND CHARITABLE TRUST** (Hereinafter referred to as the **"GUARANATOR"** which expression shall mean and include its successor)

IN FAVOR OF

UTTRAK HAND GOVERNMENT.

WHEREAS:

The GUARANTOR has fully understood rules and the terms and conditions and mandatory obligation.

NOW THEREFORE this Corporate Guarantee as follows:

1. This guarantee is issued solely to indemnify the Government of Uttarakhand in case of the demand of Director of Medical Education is settled by the Court in favour of the Government of Uttarakhand.

2. M.T.V. Buddhist Religious and Charitable Trust undertakes to make payment of the liabilities of Dr. Jagat Narain Subharti Charitable Trust towards the Government of Uttarakhand as and when it arises Rs. 72.63 crores (Seventy Two Crores Sixty Three lacs) after the judgment of the Hon'ble Court.

Secretary
Buddhist Religious

3. M.T.V. Buddhist Religious and Charitable Trust undertakes not to sell alienate, transfer or mortgage any of its properties/assets till this guarantee is in force to the extent of the amount of this guarantee i.e Rs. 72.63 crores (Seventy Two Crores Sixty Three lacs).

4. That we had already given our consent letter no. MTV/2020/12/2305 dated 14.12.2020 along with the Affidavit that Trust has been merged with M.T.V. Buddhist Religious and Charitable Trust and any liability of Dr. Jagat Narain Subharti Charitable Trust will be borne by the M.T.V. Buddhist Religious and Charitable Trust.

Name of Guarantor	M.T.V. Buddhist Religious and Charitable Trust
Address	Head Office - Tathagat Buddha Block Delhi-Roorkee Bypass Road, Subharti Puram, Meerut Dehradun Office: Jhajra, Chakrata Road, Dehradun
Favoring	Government of Uttarakhand

Secretary

M.T.V. Buddhist Religious and Charitable Trust

Authorized Signatory

For M.T.V. Buddhist Religious and Charitable Trust

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND

1456/21

ATTESTED

RAJENDER SINGH NEGI
Advocate & NOTARY
Chamber No. 92, 1st Floor
Opposite Bar Office
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)

15/6/2021

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी
(आई0टी0डी0ए0)
(सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
आई.टी. भवन, आई.टी.07, (आई0टी0 पार्क),
सहस्रधारा रोड, देहरादून – 248001

ITDA

सेवा में,

श्री मनीष वर्मा
10 गॉधी रोड,
देहरादून।

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, ***(जोकि इस कार्यालय को दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त हुआ है।)*** जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आप द्वारा कतिपय सूचना चाही गयी है, इसके संबन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है। चूंकि इस कार्यालय द्वारा मा0 मुख्यमंत्री हैल्प लाईन (1905) एवं सी0पी0ग्राम्स् पोर्टल का तकनीकी संचालन किया जा रहा है, एवं प्राप्त समस्त प्रकरणों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को अग्रसारित किया जाता है। उक्त शिकायत आवश्यक कार्यवाही हेतु सर्तकता विभाग को मैप्ड कर दी गयी है।

अतः उपरोक्त पत्र एवं संलग्नक पोस्टल ऑर्डर शुल्क धनराशि रूपये 10/– संख्याः– 56F 066661 मूल रूप में आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त सूचना के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से ही सम्पर्क करना चाहें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Manish Kumar
Upreti
Date: 25-10-2021 09:59:09
Reason: Approved

(मनीष कुमार उप्रेती)
लोक सूचना अधिकारी

Gmail VOICE OF NATION NEWS <voiceofnation18@gmail.com>

Subharti Medical, Dehradun Scam IAS officer involved Media Reports

vonnews <voiceofnation18@gmail.com> Wed, Aug 4, 2021 at 10:54 PM
To: secy-dci@nic.in, secy-mci@nic.in, secy-governer-ua@nic.in, secy-medical-ua@nic.in, secy.ugc@nic.in, secyhfw@nic.in, chiefsecyuk@gmail.com, healthminister@gmail.com, as-agnani@gov.in, g.mishra@nic.in, president.marb@nmc.org.in, presidentdciindia@gmail.com, president-mci@nic.in, cm.ua@nic.in, pushkar.dhami@gmail.com, uttara.health@gmail.com, medicaleducation11@gmail.com, medicaleducation82@gmail.com, ug@nmc.org.in, dghs@nic.in, dir.edu@rediffmail.com, amitnegi.gov@gmail.com, barthwaladv@gmail.com, dvkrao@gov.in, dvkrao@nic.in, pmoapplication@gov.in, pmo@govmu.org, hobac1del@cbi.gov.in, hobac2del@cbi.gov.in, hoza@cbi.gov.in, hozachq2@cbi.gov.in, hozdel@cbi.gov.in, hozeo@cbi.gov.in, hozsc@cbi.gov.in

http://voiceofnationnews.com/subharti-scam-again/

http://shabddoot.com/badi-khabar-63/

On Tue, 3 Aug 2021, 21:15 vonnews, <voiceofnation18@gmail.com> wrote:

URGENT / IMPORTANT BY HAND /BY MAIL

Dear Sir

Subject : To Immediate Cancel Essentiality Certificate issued to MTVT Charitable trust for Medical course (formally known as Jagat Narayan Subahrti Trust and Sri Sri 1008 Narayan Swami Charitable Trust (Dehradun) due to ignoring land and Property Dispute (ON RECORD OF STATE GOVT FILE affidavit submitted by Secretary and Advocate general before Hon'ble Supreme Court) and Liability of said trust towards State Govt about 97 Crore and **NO REPORT IS OBTAINED FROM MEDICAL EDUCATION DIRECTORATE**. (MY INSPECTION OF RTI APPLICATION FILE TODAY ie 03.08.2022)

Dear Sir

1. Please take reference of above subject and look in to **status report** submitted by **Advocate General of State Govt. of Uttrakhand** submitted before Hon'ble Supreme Court of India (attached) points number **1.13.06 ,1.13.4,1.12.16,1.7 , 1.7.1 , 1.7.1 , 1,7.2 , 1.7.3 & 1.10.3** in Case Number Writ (Civil) 571 /2018 Sourabh Barala Vs Union of India and others in which it is clearly stated by **State Govt on affidavit that Said Subharti Trust is NOT THE OWNER of land Building situated at Dehradun.** (the said report was earlier on file as I obtained under RTI and now it is not on file may be

Confidential/By Speed Post

File No.104/47/2021-AVD-IA(Pt.2)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
AVD.IA Section

Room No.270, North Block, New Delhi
Dated, the 27th October, 2021

To

The Chief Secretary,
Government of Uttrakhand,
Dehradun-248001.

Subject: Complaint against Dr. Pankaj Kumar Pandey, IAS (UK:2005).

Sir,

The undersigned is directed to forward herewith a copy of an E-mail dated 10.09.2021 from Sh. Manish Verma against **Dr. Pankaj Kumar Pandey, IAS (UK:2005)**, for action as appropriate.

Encl: As stated.

Yours faithfully

Rupesh Kumar
(Rupesh Kumar)
Under Secretary to the Government of India
23094799

Copy to:-

1. Sh. Manish Verma, Permanent Settler and Trustee of Sri Sri 100 Narayan Swami Charitable Trust, 10 Gandhi Road, Dehradun, Pin: 248001.
2. Guard File, AVD-IA, DoPT.

आर0टी0आई0 / स्पीड पोस्ट

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5
संख्या– 759/XXVIII(5)/2021-16(सू0अधि0)2021
देहरादूनः दिनांकः 23 अगस्त, 2021

श्री मनीष वर्मा,
10 गाँधी रोड़,
देहरादून–248001।

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी / सहायक स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–368 / 368 / मु0स0 / सू0अ0 / 2021 दिनांक 11 अगस्त, 2021 द्वारा आपके अनुरोध पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2021 के साथ संलग्न पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2021 में की गयी कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अन्तरित किया गया है, जो कि अनुभाग कार्यालय में दिनांक 16 अगस्त, 2021 को प्राप्त हुआ है।

2– आपके द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय को आपके द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2021, जो कि अनुभाग कार्यालय में दिनांक 10 अगस्त, 2021 को प्राप्त हुआ है, जिसमें अनुभाग स्तर से परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त उक्त शिकायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु व्यवहृत किया जायेगा तथा तत्क्रम में निर्णय लिये जाने के उपरान्त आपको उक्त सूचना से अवगत कराया जायेगा।

3– उक्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में आप नियमानुसार अपीलीय अधिकारी / अपर सचिव, श्रीमती गरिमा रौंकली, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर स्थित विश्वकर्मा भवन, तृतीय तल, कमरा नम्बर–318, 04 सुभाष मार्ग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(सुनील कुमार सिंह)
सहायक लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5,
उत्तराखण्ड शासन।
मो0नं0–9927699127

संख्या– /XXVIII(5)/2021-16 (सू0अधि0)2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी / सहायक स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
सहायक लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5,
उत्तराखण्ड शासन।
मो0नं0–9927699127

(19)

आर0टी0आई0 / स्पीड पोस्ट

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5
संख्या–983/XXVIII(5)/2021-13(सू0अधि0) / 2021
देहरादून: दिनांक: 09 नवम्बर, 2021

श्री मनीष वर्मा,
10 गांधी रोड़, देहरादून।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, सहायक स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से प्राप्त अपने अनुरोध पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2021, जोकि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त हुआ है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में प्राप्त आपके प्रत्यावेदन के संबंध में प्रकरण पत्रावली संख्या–21 (सामान्य) / 2020 में व्यवहृत किया गया है तथा पत्रावली उच्च स्तर से दिनांक 08 नवम्बर, 2021 को अनुभाग में वापस प्राप्त हुई है, जिस पर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुसचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन से वार्ता की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण के संबंध में पत्रावली पर अद्यतन कोई निर्णय / अनुमोदन प्राप्त नहीं हो पाया है।

3– उक्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में आप नियमानुसार अपीलीय अधिकारी / अपर सचिव, श्रीमती गरिमा रौंकली, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर स्थित विश्वकर्मा भवन, तृतीय तल, कमरा नम्बर–318, 04 सुभाष मार्ग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव / लोक सूचना अधिकारी,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–05,
उत्तराखण्ड शासन।
मो0नं0–9927699127

संख्या– /XXVIII(5)/2021-13(सू0अधि0) / 2021 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– लोक सूचना अधिकारी / सहायक स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव / लोक सूचना अधिकारी,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–05,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार

लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष– 0135–2712100 / 2712200

पत्र संख्याः /765–मु.स. / सू.अ. / 2021 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2021

लोक सूचना अधिकारी,
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदक श्री मनीष वर्मा, 10 गाँधी रोड़, देहरादून–248001 द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2021, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय, देहरादून में दिनांक 14.10.2021 को प्राप्त हुआ है, को मूल रूप में आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा अनुरोध पत्र पर मांगी गई सूचना चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। अतः अनुरोधकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र की वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।
संलग्नः यथोक्त।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकनः 765 / स.स्टा.आ.–मु.स. / सू.अ. / 2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– श्री मनीष वर्मा, 10 गाँधी रोड़, देहरादून–248001 को सूचनार्थ। आप द्वारा मांगी गई सूचना मुख्य सचिव कार्यालय की अभिरक्षा / नियंत्रण में धारित नहीं है अपितु चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होने के कारण आपका आवेदन पत्र संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जा रहा है। **यदि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट न हों, तो कृपया चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित करने का कष्ट करें।**

2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्टल आर्डर सं0 56एफ 066659 (रू0 10 / –) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

२1

RTI Matters
Registered Ad. / SPEED POST

No.142/11/2021AVD-I
Government of India /भारत सरकार
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions / कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
Department of Personnel &Training / कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
AVD-I/C.2 Section

Room No. 171-D, North Block, New Delhi -110001,
Date: 27.08.2021

To

Shri Manish Verma
10 GANDHI ROAD, DEHRADUN,
Pin: 248001

Subject: Information sought under Right to Information Act – 2005

Sir,

Please refer to your online RTI application (Reg. No. DOP&T/R/E/21/04444/2) dated 07/08/2021, which is also marked to other CPIOs for sending information to you directly.

2 In this regard, it is informed that the undersigned CPIO deals with the proposal of Sanction for Prosecution against IAS Officers under Prevention of Corruption Act, 1988 only. A proposal of Sanction for Prosecution against Shri Pankaj Kumar Pandey, IAS was received from State Government of Uttarakhand and after receiving information of the State Government regarding withdrawal of the same by the Hon'ble Governor, Government of Uttarakhand, the proposal was returned to State Government of Uttarakhand along with all supporting documents vide this Department's letter dated 03.08.2021 and therefore, no information is available with the undersigned CPIO as desired by you.

3. If you are not satisfied with the aforesaid reply, an appeal can be preferred to Ms. Nila Mohanan, Director (V-I) & Appellate Authority, North Block, New Delhi - 110001.

Yours faithfully

(Surya Naryan Jha)
Under Secretary & CPIO
☎: 011-2304 0381

(५५)

सूचना का अधिकार

लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष– 0135–2712100/2712200

पत्र संख्याः /368–मु.स./सू.अ./2021 दिनांकः 11 अगस्त, 2021

लोक सूचना अधिकारी,
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदक श्री मनीष वर्मा, 10 गाँधी रोड़, देहरादून–248001 द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2021, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय, देहरादून में दिनांक 11.08.2021 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 03.08.2021 पर कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त सूचना अनुरोध पत्र में उल्लिखित वर्णित पत्र मुख्य सचिव कार्यालय पत्रांक 7045 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा कार्यवाही हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया गया है। प्रकरण चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होने के कारण वांछित सूचना चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमानुसार उपलब्ध करायी जानी है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथोक्त।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी/सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकनः 368/स.स्टा.आ.–मु.स./सू.अ./2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–श्री मनीष वर्मा, 10 गाँधी रोड़, देहरादून–248001 को सूचनार्थ। दिनांक 03.08.2021 का पत्र मुख्य सचिव कार्यालय पत्रांक 7045 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा कार्यवाही हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया गया है। अतः आपका आवेदन पत्र संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जा रहा है। **यदि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट न हों, तो कृपय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित करने क कष्ट करें।**

2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्ट आर्डर सं0 56एफ 066657 (रू0 10/–) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी/सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

(२५)

आर0टी0आई0 / स्पीड पोस्ट

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5
संख्या–750 /XXVIII(5)/2021-13(सू0अधि0)2021
देहरादूनः दिनांकः 16 अगस्त, 2021

2

श्री मनीष वर्मा,
10 गाँधी रोड़,
देहरादून–248001।

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपने अनुरोध पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त पत्र द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय को आपके द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2021, अनुभाग कार्यालय में दिनांक 10 अगस्त, 2021 को प्राप्त हुआ है, जिसमें अनुभाग स्तर से परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त उक्त शिकायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु व्यवहृत किया जायेगा तथा तत्क्रम में निर्णय लिये जाने के उपरान्त आपको उक्त सूचना से अवगत कराया जायेगा।

3– उक्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में आप नियमानुसार अपीलीय अधिकारी/अपर सचिव, श्रीमती गरिमा रौंकली, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर स्थित विश्वकर्मा भवन, तृतीय तल, कमरा नम्बर–318, 04 सुभाग मार्ग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(सुनील कुमार सिंह)
सहायक लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5,
उत्तराखण्ड शासन।
मो0नं0–9927699127

संख्या– — /XXVIII(5)/2021-13(सू0अधि0)2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को ₹ 10.00 के भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–56F066658 मात्र सहित मूल में इस आशय से प्रेषित कि उक्त भारतीय पोस्टल आर्डर को राजकोष में जमा कर प्राप्ति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुनील कुमार सिंह)
सहायक लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5,
उत्तराखण्ड शासन।
मो0नं0–9927699127

(74)

URGENT / IMPORTANT BY HAND /BY MAIL

To

DATE : 03.08.2022

Sh Shyam Singh

Jt Secretary,Karmik and satarkta Vibhag Sec -06

Govt of Uttrakhand

Subhash Road , Dehradun

Your Letter number : karmic anubhag -1 782/XXX-1-02(01)/2008 dated 13 december 2021 Regarding Complaint against Pankaj Pandey ,Secretary Medical Education, Uttrakhand

Subject : To Immediate Cancel Essentiality Certificate issued to MTVT Budhhist Charitable trust,Dehradun for Medical course (formally known as Jagat Narayan Subahrti Trust and Sri Sri 1008 Narayan Swami Charitable Trust (Dehradun) due to ignoring land and Property Dispute (Fact ON RECORD OF STATE GOVT FILE affidavit submitted by Secretary and Advocate general before Hon'ble Supreme Court) and Liability of said trust towards State Govt about 97 Crore and **WITHOUT CONSIDERING REPORT FROM MEDICAL EDUCATION DIRECTORATE AS DIRECTORATE WROTE THERE IS NO LAND IN THE NAME OF APPLICANT TRUST IE: MTVTBRC TRUST AND SEVERAL DISCOIOENCIES INCLUDING HOSPITAL NOT IN OPERATION SINCE TWO YEARS AND LAIBILITY OF 72 CRORES**. (MY INSPECTION OF RTI APPLICATION FILE AT MEDICAL EDUCATION SECTION ,UTTRAKHAND SECRATARIATE AND OBTAINED)

Dear Sir

O/c

Receiving

1. Please take reference of above subject and look in to **status report** submitted by **Advocate General of State Govt. of Uttrakhand** submitted before Hon'ble Supreme Court of India (attached) points number

प्राप्त किया
यम/12
20/12/21
कार्मिक अनुभाग
उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून

1.13.06 ,1.13.4,1.12.16,1.7 , 1.7.1 , 1.7.1 , 1,7.2 , 1.7.3 & 1.10.3 in Case Number Writ (Civil) 571 /2018 Sourabh Barala Vs Union of India and others in which it is clearly stated by **State Govt on affidavit that Said Subharti Trust is NOT THE OWNER of land Building situated at Dehradun.** (the said report was earlier on file as I obtained under RTI and now it is not on file may be shifted to TC file to hide the fact by section officer/secretary incharge. **(ANNEXURE 1)**

2. The Director Medical Education, Uttrakhand Imposed Penalty of 97 Crores on Said Trust and still as on date Liability on them and they have misguided state again by giving self affidavit and guarantee that they will pay the dues but this is wrong decision of said secretary in charge Mr Pankaj Pandey the said secretary wrote on file NOTE SHEET that due to urgency no report is required from Directorate of Medical Education BUT as per rules and regulations OF NMC (National Medical council), inspection report,land revenue records NOC, formal Inspection by Committee is compulsory in MCI norms. **(ANNEXURE 2)**

3. It is written in **Recovery order (attached) that this trust have NO RIGHT TO REMAIN ENTITLED TO RUN MEDICAL COLLEGEIN THE STATE** due to several discrepancies .**(Pera 5 (I) (ANNEXURE 2 SUPRA)**

4. They have also obtained BDS permission last year but the involvment of Directorate Medical Education and high court their Permission was not granted by DCI and Central Govt AS COMMENTS SEEK BY CENTRAL GOVT **(ANNEXURE 3)**

5. The said Subharti Trust Ruined the life of 300 medical Students in 2017 -18 -19 and later 2019 they were shifted to state medical college by the orders of Supreme Court.

6. Again same is thing going to place at State and later there will be so many allegation will come on state got and Bureaucrats of State as immediate action is not taken state govt then I am going to file a case before the Courts and Concerned authorities. **AS COMMITTEE FORMED BY SECRETARY AND STATE GOVT UNDER THE PRINCIPAL OF STATE DOON MEDICAL COLLEGE SUBMITTED THE REPORT THE COLLEGE IS NOT ELIGIBLE TO RUN THE MEDICAL COLLEGE (ANNEXURE 4)**

7. This trust just made an eye wash to hide his cheating and frauds by changing the name of trust but everything is on file that they are same people.

8. Tomorrow if same thing wall be happened with students and said trust will DECLARE BANK CURRUPT TOTHEMSELVES THEN WHO WILL TAKE RESPONSIBILITY TO PAY STATE GOVT LAIBILITY OF 97 CRORE moreover this will affect to other trust and societies of duel character of state govt.

9.The several Case with state govt (IN WHICH THEY HAVE ALLEGED STATE GOVT AS CURRUPT AND SEVERAL OTHER ALLEGATIONS) PENDING BEFORE HONBLE HIGH COURT OF NAINITAL , DELHI HIGH COURT AND SUPREME COURT OF INDIA and STATE is issuing them NOC and EC for same fraud again WHY ? (COPY ATTACHED) ***ALL CASES SINCE 2015 TO 2022*** **(ANNEXURE 5)**

9. HON'BLE SUPREME COURT OBSERVED " **FRAUD " TO THIS TRUST** IN ORDER DATED 20/7/2018 IN THE CASE OF WP (CIVIL) 571/18 COPY ATTACHED AS **(ANNEXURE 6)**

10.HON'BLE SUPREME COURT ORDERED TO **RETURN THE MONEY AND DOCUMENTS** TO THIS TRUST IN ORDER DATED 07/3/2019 IN THE CASE OF WP (CIVIL) 571/18 COPY ATTACHED AS **(ANNEXURE 7)**

11. That the **Sh Ranvir Singh ACS (HE)** Govt of Uttrakhand submitted the enquiry report in which it is clearly shown that there was so many discripencies found in formation of " **RAS BIHARI BOSE SUBHARTI UNIVERSITY " AND THIS UNIVERSITY FACING CASE TO CANCEL THE UNIVERSITY BEFORE HONBLE HIGH COURT OF UTTRAKHAND COPY ATTACHED AS (ANNEXURE 5 SUPRA) the enquiry report is attached as (Annexure 9) and as per IAS and DOPT rules & conduct the IAS Rules and Regulations the senior IAS from Sh Ranvir Singh ACS (HE) can only give opinion /further note on his report and his report is still ALIVE.**

12. That the **letter written by Secretary Medical Education, Govt of Uttrakhand to Govt of India and MCI** ***also clearly shows the discrpencies of court case , land and Building cases.*** **(ANNEXURE 10)**

13. Pleae take strict and disciplinary action against secretary incharge Mr Pankaj Pandey IAS for not to follow the rules & regulation and helping the disputed trust and criminal elements who were **chargsheeted by CBI in murder and by other FIR's for several cases** as they both (atul Bhatnagar ,Mukti Bhatnagar of subharti trust and Pankaj Pandey) **are from Allahabad . The Pankaj kumar pandey IAS was suspended by Chief Minister of Uttrakhand in National Highway Land conversion and payment Scam of 3000 rupees in uttrakhand and still several enquires are pending against him.** He should be removed and suspend again due to several allegations

14. Therefore I request you to Cancel the issued Essentiality Certificate to MTVT Suharti Charitable Trust Formally known as Jagat Narain Subharti Trust & Sri 1008 Narain swami Charitable Trust) for Gautam budh chikitsa mahavidyalay and other courses immediately and take action against Sh pankaj Kumar Pandey IAS for **ignoring the adversed report of Medical Directorate and without taking transparent and clear opinion for taking corporate bank gurantee of 72 Crores on 100 rupees stamp paer by private party and issued essentiality Certificate for MBBS Course ignoring all disputes as well not suggesting all these things on concerned file and Chief Secraetary/Minister.**

YOURS SINCERLEY

MANISH VERMA
PERMANENT SETTLER AND TRUSTEE OF SRI SRI 100 NARAYAN SWAMI CHARITABLE TRUST
10 GANDHI ROAD
DEHRADUN
MOBILE 7579193109

Attached : as above & affidavit as required

CC : HON'BLE PRESIDENT OF INDIA , NEW DLEHI

PRIME MINISTER SH. NARENDER MODI JI , NEW DELHI

Hon'ble Governer , Uttrakhand

Hon'ble Chief Minister of Uttrakhand

Sh . Dhan Singh Rawat Minister, Medical Education, Uttrakhand

CHAIRMAN NMC , NEW DELHI

HONBLE MINISTER MOHFW, NIRMAAN BHAWAN NEW DELHI

SECRETARY , MOHFW ,NIRMAAN BHAWAN NEW DELHI

CONCERNED JS, US ,MOHFW, NIRMAAN BHAWAN ,NEW DELHI

NOTE : THE MATTER IS MADE PENDING BY SECRETARIATE SINCE LONG AND IF NO ACTION TAKEN ON CULPRITS THEN I WILL FILE WRIT /PIL AT UTTRAKHAND HIGHCOURT AND FORCED TO MAKE CHIEF SECRETARY AS PARTY ..SINCE HONBLE HIG COURT ADVISED THAT NOT TO MAKE CHIEF SECRETARY AS PARTY BUT DUE TO NEGLIGNCE I WILL PROCEED.

Details for registration number : PMOPG/E/2021/0463212

Name Of Complainant	Manish Verma
Date of Receipt	04/08/2021
Received By Ministry/Department	Prime Ministers Office

Grievance Description

Respected Sir
Subject : To Immediate Cancel Essentiality Certificate issued to MTVT Charitable trust for Medical course (formally known as Jagat Narayan Subahrti Trust and Sri Sri 1008 Narayan Swami Charitable Trust (Dehradun) due to ignoring land and Property Dispute (ON RECORD OF STATE GOVT FILE affidavit submitted by Secretary and Advocate general before Hon'ble Supreme Court) and Liability of said trust towards State Govt about 97 Crore and NO REPORT IS OBTAINED FROM MEDICAL EDUCATION DIRECTORATE. (MY INSPECTION OF RTI APPLICATION FILE TODAY ie 03.08.2022)
Dear Sir
1. Please take reference of above subject and look in to status report submitted by Advocate General of State Govt. of Uttrakhand submitted before Hon'ble Supreme Court of India (attached) points number 1.13.06 ,1.13.4,1.12.16,1.7 , 1.7.1 , 1.7.1 , 1,7.2 , 1.7.3 & 1.10.3 in Case Number Writ (Civil) 571 /2018 Sourabh Barala Vs Union of India and others in which it is clearly stated by State Govt on affidavit that Said Subharti Trust is NOT THE OWNER of land Building situated at Dehradun. (the said report was earlier on file as I obtained under RTI and now it is not on file may be shifted to TC file to hide the fact by section officer/secretary incharge. (ANNEXURE 1)
2. The Director Medical Education, Uttrakhand Imposed Penalty of 97 Crores on Said Trust and still as on date Liability on them and they have misguided state again by giving self affidavit and guarantee that they will pay the dues but this is wrong decision of said secretary in charge Mr Pankaj Pandey the said secretary wrote on file NOTE SHEET that due to urgency no report is required from Directorate of Medical Education BUT as per rules and regulations OF NMC (National Medical council), inspection report,land revenue records NOC, formal Inspection by Committee is compulsory in MCI norms. (ANNEXURE 2)
3. It is written in Recovery order (attached) that this trust have NO RIGHT TO REMAIN ENTITLED TO RUN MEDICAL COLLEGEIN THE STATE due to several discrepancies .(Pera 5 (I) (ANNEXURE 2 SUPRA)
4. They have also obtained BDS permission last year but the involvment of Directorate Medical Education and high court their Permission was not granted by DCI and Central Govt AS COMMENTS SEEK BY CENTRAL GOVT (ANNEXURE 3)
5. The said Subharti Trust Ruined the life of 300 medical Students in 2017 -18 -19 and later 2019 they were shifted to state medical college by the orders of Supreme Court.
6. Again same is thing going to place at State and later there will be so many allegation will come on state got and Bureaucrats of State as immediate action is not taken state govt then I am going to file a case before the Courts and Concerned authorities. AS COMMITTEE FORMED BY SECRETARY AND STATE GOVT UNDER THE PRINCIPAL OF STATE DOON MEDICAL COLLEGE SUBMITTED THE REPORT THE COLLEGE IS NOT ELIGIBLE TO RUN THE MEDICAL COLLEGE (ANNEXURE 4)
7. This trust just made an eye wash to hide his cheating and frauds by changing the name of trust but everything is on file that they are same people.
8. Tomorrow If same thing wall be happened with students and said trust will DECLARE BANK CURRUPT TOTHEMSELVES THEN WHO WILL TAKE RESPONSIBILITY TO PAY STATE GOVT LAIBILITY OF 97 CRORE moreover this will affect to other trust and societies of duel character of state govt.
9.The several Case with state govt (IN WHICH THEY HAVE ALLEGED STATE GOVT AS CURRUPT AND SEVERAL OTHER ALLEGATIONS) PENDING BEFORE HONBLE HIGH COURT OF NAINITAL , DELHI HIGH COURT AND SUPREME COURT OF INDIA and STATE is issuing them NOC and EC for same fraud again WHY ? (COPY ATTACHED) ALL CASES SINCE 2015 TO 2022 (ANNEXURE 5)
9. HON'BLE SUPREME COURT OBSERVED " FRAUD " TO THIS TRUST IN ORDER DATED 20/7/2018 IN THE CASE OF WP (CIVIL) 571/18 COPY ATTACHED AS (ANNEXURE 6)
10. HON'BLE SUPREME COURT ORDERED TO RETURN THE MONEY AND DOCUMENTS TO THIS TRUST IN ORDER

Current Status	Under process
Date of Action	07/08/2021

Officer Concerns To

Officer Name	Aarti Balodi
Officer Designation	Nodal Officer
Contact Address	
Email Address	ukcmhelpline@gmail.com
Contact Number	01352609521

Print Close

(१०)